कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.districts.ecourts.gov.in, **e-mail: raipur.court@nic.in**
Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

निविदा की शर्तें

1– निविदा सीलबंद लिफाफे के उपर ''प्रिंटर मॉडल एच. पी. 202 का कार्टरीज 88–ए मॉडल लिपि हेतु निविदा'' लिखी जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायी ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित कर सुरक्षा निधि की राशि 10000/– (अक्षरी दस हजार) रूपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ, निविदा आवेदनपत्र, कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डॉक/कोरियर सेवा, के माध्यम से दिनांक **दिनांक 08 जनवरी 2026 के सांय 05:00 बजे** तक प्रेषित/जमा की जा सकेगी । **दिनांक 08 जनवरी 2026 के सांय 05:00 बजे** बजे तक कार्यालय में प्राप्त, निविदा आवेदन लिफाफे पर ही विचार किया जावेगा । प्राप्त हुए निविदा को दिनांक 08–01–2026 को समय शाम 05:15 बजे खोली जावेगी, यदि किसी अपरिहार्य कारणों से इस तिथि को निविदा नहीं खोली जाती है तो आगामी कार्यदिवस में निविदा खोली जा सकेगी ।

2– निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकतें हैं । निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में, क्रय समिति के व्दारा निविदा खोली जावेगी ।

3– प्रदाय की जाने वाली सामग्री मापदंड/उचित गुणवत्ता के अनुसार प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदाकर/प्रदायकर्ता फर्म/संस्थान को उसे अपने स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा ।

4– यदि प्रदाय की जाने वाली सामग्री में किसी प्रकार की कमी/ खराबी पायी जाती है तो कार्यालय के व्दारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को उक्त खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदान करना होगा ।

5– सामग्री की दर्शित दर पर ही सामग्री को कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। मालभाड़ा, ढुलाई व्यय ईत्यादि निविदाकार स्वयं वहन करेगा ।

6– सामग्री की दर सभी प्रकार के कर को मिलाकर होगी, निविदाकार को सामग्री के पूर्ण विवरण एवं कर ईत्यादि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा । प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का संपूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को होगा।

7– प्रदाय किये जाने वाली कांपीटेबल सामग्री के संबंध में, कि सामग्री वास्तविक कंपनी की है, निविदा कार को तत्संबंध में दस्तावेज एवं घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8– जिन फर्मों/ संस्थानों के व्दारा निविदा भरी जावेगी उनको संबंधित कंपनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

9– निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट https://raipur.dcourts.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है ।

10– सामग्री प्रदाय किये जाने के पश्चात् उसके इंस्टालेशन एवं वारंटी अवधि में आई किसी तकनीकी खराबी हेतु कंपनी से समन्वय का कार्य सफल निविदाकार व्दारा किया जावेगा ।

11– सफल निविदाकार के सुरक्षा निधि की राशि के संबंध में प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय के व्दारा उपरोक्त सामग्रियों की प्राप्ति तक इस कार्यालय के व्दारा अपनी अभिरक्षा में रखा जावेगा तथा शेष असफल निविदाकारों का डिमांड ड्राफ्ट, लौटा दिया जावेगा ।

12– सफल निविदाकार को राशि का भुगतान कार्टरीज के सफल जांच/इंस्टालेशन एवं कार्यालय की संतुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा ।

16/12/21

अध्यक्ष
कय समिति
कार्या0–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

//निविदा आवेदनपत्र का प्रारूप//

जिला न्यायालय,रायपुर छत्तीसगढ़ हेतु **"प्रिंटर मॉडल एच. पी. 202 का कांपीटेबल कार्टरीज 88–ए लिपि के** क्रय किये जाने के संबंध में ।

क्रमांक	विवरण	संस्था/फर्म/निविदाकार के व्दारा दी जाने वाली जानकारी
1	संस्था/फर्म का नाम	
2	संस्था/फर्म के संचालक का नाम	
3	संस्था/फर्म का रजिस्टर्ड पता	
4	दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	पेन कार्ड का नबंर	
6	GSTIN नंबर	
7	अधिकार प्रमाणपत्र	
8	अन्य विवरण जो आवश्यक हो	
	निविदा प्रस्ताव (Commercial Bid)	
1	सुरक्षा निधि राशि	
2	डिमांड ड्राफ्ट का नंबर	
3	जारीकर्ता बैंक का नाम	
4	जारी दिनांक	
	प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण	
	सामग्री का नाम	प्रस्तावित दर (केवल एक नग का)
1	प्रिंटर मॉडल एच. पी. 202 का कार्टरीज 88–ए लिपि	

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म/संस्था की सील